

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :-323/2022

1. राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. शिवरतन पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

—:बनाम:—

राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— प्रतिवादी

—:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एक्ट :-

—: उपस्थित अभिमाषकगण :-

1. श्री हीरालाल बिस्थलिया — वादीगण
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — प्रतिवादी

—: निर्णय :-

दिनांक:- 16/08/2024

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्त व प्रतिवादी तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे चक नं. 11 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 62 के प.नं. 19/296 की कुल 6.325 हैक्. नहरी म.गै.मु.ब.हि.ब. वादीगण के नाम वर्णित रकबा मे राजाराम दत्तक पुत्र बाली देवी के स्थान पर राजाराम पुत्र रामचन्द्र व शिवरतन दत्तक पुत्र बाली देवी के स्थान पर शिवरतन पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर किया किया जाने का आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा